राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 2271/2015/जयपुर.

सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन–प्रथम, जयपुर. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स राजेश मोटर्स (राजस्थान) प्रा0 लिमिटेड,
72, गोनेर रोड़ टर्न, आगरा रोड़, जयपुर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य
श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री सीतांशु शर्मा, उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री अलकेश शर्मा, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 30/08/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर जयपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 181/अ.प्रा.–।।/आरवीएटी/जयपुर/2014–15 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 24.07.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, संभाग–प्रथम, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि 2013–14 (नवम्बर, 2013 से मार्च, 2014) के लिये वेट अधिनियम की धारा 25, 55 व 61 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 23.07.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

2. दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी एवं उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

3. हस्तगत प्रकरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में ''जे.सी.बी. रियर टायर किट'' का विक्रय 5 प्रतिशत की कर दर से किया गया था, जबकि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त माल को वेट अधिनियम की कर अनुसूची–चतुर्थ की किसी प्रविष्टि में सम्मिलित नहीं मानते हुए अनुसूची–पंचम के अनुसार 14 प्रतिशत की दर से कर योग्य मानते हुए तद्नुसार अन्तर कर, ब्याज एवं कम दर से विक्रय किये जाने को करापवंचन का कृत्य मानते हुए वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत शास्ति का भी आरोपण किया गया था। प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की

लगातार.....2

गयी अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा कर व ब्याज की पुष्टि करते हुए वेट अधिनियम की धारा 61 के तहत आरोपित शास्ति को माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **(2009) 23 वी.एस.टी. 249 श्रीकृष्णा इलेक्ट्रिकल्स बनाम स्टेट ऑफ तामिलनाडू** एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन जोन, जयपुर बनाम श्याम एजेन्सी एस.बी. सिविल रिट पिटिशन नं0 42/2014 निर्णय दिनांक 26.8.2014** के आलोक में अपास्त किया गया है, जिसमें अपीलीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि कारित किया जाना प्रकट नहीं होता है क्योंकि इस प्रकरण में कर दर के बिन्दु पर मत भिन्नता थी परन्तु व्यवहारी के समस्त संव्यवहार उसकी लेखा–पुस्तकों एवं विवरण–पत्रों में प्रदर्शित थे।

4. उपरोक्त विवेचन के मद्देनजर अपीलीय आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से इसकी पुष्टि की जाती है एवं अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है।

5. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य

(नत्थूराम)
सदस्य